

The Constitution (One Hundred And Twenty Eighth Amendment) Bill, 2023-Introduced

-

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।?(व्यवधान)

महोदय, मैं बोलना भी चाहता हूँ।?(व्यवधान) आप सप्लीमेंटरी बिजनेस में देखिए।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल को अपलोड कर दिया गया है। संसद की नई टेक्नोलॉजी है। आप इसमें देख लीजिए, बिल को अपलोड कर दिया है।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बिल अपलोडेड है।?(व्यवधान)

महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसद में नई टेक्नोलॉजी है, आप इसको चलाइए। इसमें बिल अपलोड कर दिया गया है।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बिल अपलोडेड भी है।?(व्यवधान)

महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।?(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: सर, आपकी अनुमति से सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में यह बिल आया है।?(व्यवधान) वह अपलोड हुआ है, कृपया एक्सेप्ट करने के लिए कहिए। मेरा इतना ही निवेदन है।?(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।?(व्यवधान)

महोदय, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।?(व्यवधान) यह अपलोडेड है।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल इसमें अपलोडेड है ।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Shri Gaurav Gogoi, you can see the Bill. It is uploaded?
(Interruptions) अधीर जी, बिल अपलोडेड है ।?(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन), विधेयक 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ ।?(व्यवधान) यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है ।?(व्यवधान) इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239एए, 330ए, 332ए और 334ए, इतने संशोधन संविधान में कर रहे हैं ।?(व्यवधान)

महोदय, 239एए के माध्यम से 33 परसेंट सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी ।?(व्यवधान) आर्टिकल 330ए के माध्यम से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी, एसटी इन हाउस ऑफ पीपल, इसमें 33 परसेंट रिजर्वेशन होगा ।?(व्यवधान) आर्टिकल 332ए?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें अपलोडेड है । मैं आपको बताता हूँ कि कौन से में है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें है ।

? (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I would like to give a clarification to them. It is already uploaded in the Supplementary List of Business. ? (Interruptions) We are able to see it? (Interruptions) Why are they not able to see it?? (Interruptions) Are they opposing the Mahila Reservation Bill?? (Interruptions) Let them clarify that.? (Interruptions) Sir, it is there? (Interruptions) Let them understand? (Interruptions) It is already there? (Interruptions) यह ऑलरेडी लिस्ट ऑफ बिजनेस में है । आप इसे टैब में देख सकते हैं ।? (व्यवधान) It is there? (Interruptions) You please try to understand the technology? (Interruptions) हम आज भारत में डिजिटल? (व्यवधान) गौरव जी, आप चैक कर लीजिए ।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): आपके डिजिटल कंसोल में है, आप चैक कीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा। आप चैक कर लो।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आप रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अर्जुन मेघवाल जी, आप कंटीन्यू कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है।? (व्यवधान) अधीर रंजन जी, आप दो मिनट सुनिए।? (व्यवधान) मैं वही बोल रहा हूँ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, दि कांस्टीट्यूशनल 128th अमेंडमेंट बिल, 2023, यह बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आर्टिकल 239aa हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33 परसेंट महिलाओं को दिनेशनल केपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली में रिजर्वेशन मिलेगा।? (व्यवधान) उसके बाद हम आर्टिकल 330a में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में रिजर्वेशन का पहले से प्रावधान है, उसमें ही हम 33 परसेंट महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं।? (व्यवधान) एक आर्टिकल 332 है, जो असेम्बली में रिजर्वेशन के बारे में है, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेम्बली में 33 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं।? (व्यवधान) यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और आर्टिकल 334a में एक नया क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी, वह 15 साल के लिए होगी। उसके बाद रिजर्वेशन यदि बढ़ाना होगा, तो संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा।? (व्यवधान) अधीर रंजन जी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी जैसे 543 लोक सभा के सदस्यों की संख्या है।? (व्यवधान) आप सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में देख सकते हैं।? (व्यवधान) बालू जी, आप देख सकते हैं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज केवल बिल इंट्रोड्यूज हो रहा है। कल बिल पर चर्चा होगी, तब आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अधीर रंजन जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिल से क्या परिवर्तन होने वाला है। अभी लोक सभा की सीटों की संख्या 543 है। जैसे ही यह बिल पास होगा और कानून बनेगा तो अभी वर्तमान में जो महिलाओं की

संख्या 82 है, वह 181 हो जाएगी। आप देखिए कि यह कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। क्या आप इसके समर्थन में नहीं हैं? ? (व्यवधान) कल्याण बनर्जी जी, आप इतिहास भी सुनिए।? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप यह बिल लोक सभा के लिए क्यों लाए हैं, राज्य सभा के लिए क्यों नहीं लाए? ? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: हम राज्य सभा में भी करेंगे। आप सुनिए। यह बिल सबसे पहले सितम्बर, 1996 में देवेगौड़ा जी के समय आया, वह भी 11वीं लोक सभा में। उसके बाद दिसम्बर, 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 12वीं लोक सभा में आया।? (व्यवधान) उसके बाद 13वीं लोक सभा में दिसम्बर, 1999 में फिर अटल जी की सरकार के समय आया। ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, डॉ. मनमोहन सिंह के समय जो बिल आया, वह लोक सभा में नहीं आया, वह मई, 2008 में राज्य सभा में आया। यहीं से षड्यंत्र की बू आती है।? (व्यवधान)

राज्य सभा में आने के बाद यह विभागों से संबंधित स्थायी समिति में गया।? (व्यवधान) वहां से जब इस बिल पर रिपोर्ट आई तो 9 मार्च, 2010 में राज्य सभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्य सभा ने इसे लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल को कम्युनिकेट किया। फिर यह लोक सभा की प्रॉपर्टी बन गया। पन्द्रहवीं लोक सभा जैसे ही 18 मई, 2014 को भंग हुई, यह बिल भी लैप्स हो गया।? (व्यवधान) इन लोगों ने जान-बूझकर पारित नहीं किया।? (व्यवधान)

महोदय, मैं अधीर रंजन जी के लिए कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन्स को पढ़ कर बताता हूं।? (व्यवधान) अधीर रंजन जी, आर्टिकल-107 को देखिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नयी संसद के पटल पर उस नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है।? (व्यवधान) आज यह सदन नारी शक्ति को लोक सभा और राज्य सभा में 33 प्रतिशत भागीदारी देने का साक्षी बनेगा।? (व्यवधान) भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूपा मानने की रही है और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश आज वूमन डेवलपमेंट से वूमन-लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।? (व्यवधान) आज हर क्षेत्र में, चाहे वह अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही हैं।? (व्यवधान) आज हम प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक को प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है ।? (व्यवधान) हमारे श्लोकों में भी कहा गया है ?

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर का एक क्वोट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्वोट-अनक्वोट, बाबा साहेब से किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान या प्रगति को कैसे मापते हैं? What is the parameter कि यह समाज, यह देश, यह राष्ट्र उन्नति कर रहा है? बाबा साहेब ने एक क्वोट कहा था, उसे मैं क्वोट-अनक्वोट कह रहा हूँ । उन्होंने कहा - ?I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved.? महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है । यह बाबा साहेब ने कहा था ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूँ कि 25 नवम्बर, 1949 में उसी सेन्ट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, वहां बाबा साहेब ने कहा था कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी । इसको कौन दूर करेगा? ? (व्यवधान) आने वाली सरकारों का यह काम होगा ।? (व्यवधान) जो सरकारें आईं, वे इसे नहीं कर पाईं । लेकिन, जब वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी आए तो जन धन अकाउंट आया । एक महिला के पास अकाउंट, एक के पास नहीं, यह असमानता थी । पी.एम. आवास आया । एक का घर कच्चा और एक का घर पक्का, यह असमानता थी ।? (व्यवधान) एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, यह असमानता थी ।? (व्यवधान) एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं; एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं; एक के घर नल से जल, एक के घर नल से जल नहीं; मुद्रा योजना में, जैसा प्रधान मंत्री जी ने जिक्र किया, स्टैण्ड-अप इंडिया में भी एक लाख रुपये से दस करोड़ रुपये तक का लोन दिया गया । यह असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, इसलिए यह महिलाओं का सशक्तिकरण भी करेगा, महिलाओं का उत्थान भी करेगा और यह दिशा भी देगा । इसलिए, मैं आपसे इसकी अनुमति चाहता हूँ ।? (व्यवधान)

महोदय, यह नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। वर्ष 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वूमैन-लेड डेवलपमेंट को नयी दिशा देने वाला होगा, नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा, सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा, इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूँ कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Hon. Speaker Sir, I introduce the Bill. ? (*Interruptions*)
